न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

निगरानी याचिका सं0 06/2018

हरिनारायण पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी धर्मपुरा तहसील दौसा जिला दौसा

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. भोला उर्फ भोलाराम पुत्र सेडू उर्फ सेडूराम जाति मीना निवासी धर्मपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
2. ग्राम पंचायत बिशनपुरा जरिए सचिव ग्राम पंचायत बिशनपुरा पंचायत समिति दौसा तहसील दौसा जिला दौसा

...गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध पट्टा दिनांक 11–9–1972 जो कि ग्राम पंचायत बिशनपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को फर्जी संकल्प व फर्जकारी करके बिना पत्रावली सिर्फ और सिर्फ अप्रार्थी संख्या 1 से अवैध वसूली करके दिया गया है, के बाबत अंतर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम

उपस्थित : 1. श्री अभयशंकर शर्मा, अधिवक्ता निगरानीकार।
2. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक: 30.7.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्तागण द्वारा ग्राम पंचायत बिशनपुरा द्वारा जारी पट्टा दिनांक 11.9.1972 को निरस्त करने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।
2. निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।
3. अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्राथी निगरानीकार व अप्रार्थी संख्या 1 आपस मे सगे भतीजे चाचा है। प्रार्थी के पितामह व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता सेडूराम एवं मूलचन्द के कब्जे व खातेदारी की आबादी भूमि खसरा नम्बर 976 रकबा 0.48 है० है। उक्त भूमि निगरानीगुजार के पिता मांगीलाल व अप्रार्थी संख्या 1 के पिता सेडूराम व मूलचन्द व रामचन्द्र की संयुक्त एवं शामलाती आबादी भूमि हैं जिसमें उक्त लोग अपने रिहायशी मकानात बनाकर निवास करते है तथा उक्त भूमि आज भी शामलाती भूमि हैं उक्त आबादी भूमि का बंटवारा आज तक भी नही हुआ है। उक्त अविभाजित आबादी भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 ने तत्कालीन सरपंच से साज करके बिना कोई विधिक प्रक्रियां अपनाये बिना कोई पट्टा प्राप्ति का प्रार्थना पत्र पेश किये बिना कोई उज्रदारी नोटिस जारी किये, बिना कोई पट्टा दिये जाने की स्थिति का मौका देखे मिल्लत व षडयंत्र करके प्रार्थी व उसके पिता मांगीलाल तथा मूलचन्द बनाम रामचन्द्र के अकब मे फर्जकारी करके अविभाजित आबादी भूमि का विधीविरुद्ध रूप से सरपंच से मिलकर पट्टा प्रा[illegible]विरुद्ध निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जा रही है। अधिनस्थ न्या[illegible]य [illegible] पट्टा दिनांक 11–9–1972 पूर्ण रूप से फर्जी व बनावटी है। तत्का[illegible] फार्म पेड मे से एक पैपर निकालकर उक्त पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] विधिक प्रक्रियां अप[illegible]मनमाने तरीके से जारी कर दिया गया जो सरसरी तौर पर नि[illegible]नीय है। कथित पट्टा[illegible]क 11–9–1972 का कोई वजूद आज तक भी ग्राम पंचायत मे नही है। उक्त पट्टे के संबध मे कोई प्रार्थना पत्र बाबत पट्टा प्राप्ति एवं ग्राम पंचायत की किसी तरह की कोई आदेशिका कोई उज्रदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:12 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर, दौसा

नोटिस का रिकॉर्ड उक्त ग्राम पंचायत मे नही है तथा उक्त ग्राम पंचायत की रिपोर्ट से उक्त पट्टा जारी करने का कोई रिकॉर्ड भी ग्राम पंचायत मे वजूद मे नही है अर्थात उक्त पट्टा पूर्णतः फर्जी व बनावटी है और ना ही कथित पट्टा जारी करने का विधिक अधिकार संयुक्त आबादी भूमि में बिना सहमति से अधिकार ही नही था ऐसी सूरत मे पट्टा दिनांक 11–9–1972 निरस्तनीय है। उक्त पट्टे से संबंधित कोई अभिलेख ग्राम पंचायत में नही है अर्थात उक्त पट्टा एक प्रिन्टेट पट्टे फॉर्म पर जारी किया गया है जिसका कोई वजूद कानूनन नही है। पट्टा जारी करने से पूर्व पट्टा चाहने वाला व्यक्ति द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज स्वामित्व संबंधी मय नक्शे के मय नापतोल के संबंधित ग्राम पंचायत में निर्धारित प्रजेन्टेशन शुल्क जमा कराकर प्रस्तुत किया जाता है जिस पर ग्राम पंचायत उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के पश्चात नियमानुसार उज्रदारी नोटिस जारी किया जाता है। तथा ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा चाहा गये स्थान का मौका निरीक्षण किया जाता है। यदि किसी उजदार द्वारा कोई उज्रदारी की जाती है तो विधि सम्मत रूप से पंचायत के कोरम में उज्रदारी का निर्णय किया जाता है तदउपरान्त विधी अनुसार संबंधित पट्टा चाहने वाले व्यक्ति को पट्टा जारी किया जा सकता है मगर उक्त प्रकरण मे तत्कालीन सरपंच द्वारा केवल प्रिन्टेड फॉर्म पर अपने दस्तखत करके तत्कालीन सरपंच द्वारा बिना रिकॉर्ड के कथित पट्टा दिनांक 11–9–1972 फर्जकारी करके जारी कर दिया गया है जो सरसरी तौर पर निरस्तनीय है। तत्कालीन सरपंच द्वारा विधी एवं विधी द्वारा स्थापित मान्यताओ के एवं प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तो की अवहेलना करके पट्टा दिनांक 11–9–1972 जारी करने मे विधिक त्रुटि की है ऐसी सूरत मे पट्टा दिनांक 11–9–1972 निरस्तनीय है। उक्त फर्जी पट्टे की जानकारी प्राथी को दिनांक 30–1–2018 को सर्वप्रथम हुई है। उक्त पट्टे की आड में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने हेतु आवास स्वीकृत कराया गया है तथा आर.टी.आई. से सूचना प्राप्त की गई है, के पश्चात प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड पर देखने से उक्त पट्टा उक्त पंचायत से कभी भी जारी होना दर्शित नही है तथा उक्त पट्टा पूर्णरूप से फर्जी है तथा पट्टा निरस्तीकरण हेतु कोई समय सीमा भी नही है ऐसी सूरत मे उक्त निगरानी बाबत निरस्तीकरण पट्टा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत गिनरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत बिशनपुरा पंचायत समिति दौसा तहसील व जिला दौसा द्वारा जारी किया गया पट्टा दिनांक 11–9–1972 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के हक में बिना विधिक प्रावधानो के जारी किया गया है वह पूर्ण रूप से फर्जी है, को निरस्त फरमाया जावे। जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें ।

4. अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 ने बहस में कथन किया कि निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है। साथ ही विलंब से प्रस्तुत निगरीानी के लिए डिले कन्डोन हेतु दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। निगरानी विलंब के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। ग्राम पंचायत बिशनपुरा के द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टा पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाई जाकर जारी किया गया है। निगरानीकार द्वारा गलत आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है जिसे खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 1 ने अपने तर्कों के समर्थन में 2012(2) डीएनजे (राज0) 602, 2018–19(supp.) RRT 125 पर भरोसा प्रकट किया ।

5. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा भेजे गये रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा कथन है कि सरपंच को पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया गया। इसके उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा आपत्तियां आमंत्रित की गई, गवाहों के बयान लिये गये,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

एवं दिनांक 11.9.1972 को फैसला सुनाया गया जो इस प्रकार है:–

" आज यह कागजात निर्णय हेतु मीटिंग के समक्ष श्री महादेव जी सरपंच की अध्यक्षता में पेश हुए। मामला यह है कि दिनांक 11.8.1972 को श्री भोंल्या पुत्र सेडू मीना ने अपने खाम घरों पर पुख्ता मकान बनवाने की अर्जी पेश की। अर्जी आने पर नोटिस मयादी 1 माह जारी किया गया, उजरदारी किसी की भी नहीं आई। नक्शा बनवाया गया बयान खुद के लिये गये जो शामिल है। मौका रिपोर्ट पंचान ली गई जिसमें भी किसी प्रकार की अडचन नहीं है। अतः इसको सर्व सम्मति से .....अपठनीय..... वर्गगज होता है जो यह जो यह सुलहकाश्त होने की वजह से निशुल्क पटटा पारित किया जाता है तथा हिदायत दी जाती है कि इसमें बेशी जमीन दबायेगा तो पंचायत द्वारा तुडवा दी जावेगी जिसके खर्चे का खुद भागी होगा। हुकम रूबरू सुनाया गया। कागजात दफ्तर दाखिल किया जाकर मिसल नंबर से कम की जावे।"

8. उपरोक्त पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के निर्णय से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित यह निर्णय विधिसम्मत एवं आपत्ति आमंत्रित कर, विधिवत सुनवाई की जाकर पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत बिशनपुरा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश/पट्टा यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 जुलाई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:12 IST
Reason: SelfAttested